1911

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 276(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) से खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 1954) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय रजिस्टर" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन रखा गया और अनुरक्षित किया गया रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ग) "केन्द्रीय रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "केन्द्रीय रजिस्ट्री" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

(ङ) "संव्यवहार" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण का या वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन का या संपति पर सृजित प्रतिभूति हित और संपत्ति में किसी प्रतिभूति हित के उपांतरण और तुष्टि का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है;

2. उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं क्रमश: वहीं अर्थ होंगे जो यथास्थिति वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54); या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) में उनका है।

3. **केन्द्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण :**—(1) अधिनियम के अधीन वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और संपत्तियों में सृजित प्रतिभूति हितों से संबंधित संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण के अभिलेखों के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय रजिस्टर रखा जाएगा।

(2) ऐसे सभी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज, जिनका अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है, उसके अंकीय हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

4. **रीति जिसमें केन्द्रीय रजिस्ट्री द्वारा संव्यवहार की विशिष्टियां भरी जानी हैं.**—(1) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन और वित्तीय आस्तियों की वसूली पर ऐसे संव्यवहार की तुष्टि या अधिनियम की धारा 23, धारा 24 और धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी प्रतिभूति ब्याज का सृजन, उपांतरण या तुष्टि के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में जो फाइल की जा सकेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा बंधक द्वारा हक विलेखों को जमा करके प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां, यथास्थिति प्ररूप I, प्ररूप II, प्ररूप III या प्ररूप IV में फाइल की जाएंगी और विधिमान्य अंकीय हस्ताक्षर के उपयोग द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी ।

1177 GI/2011

1410

(3) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर इन नियमों में संशोधन द्वारा हक विलेख को जमा करके बंधक से भिन्न, प्रतिभूति के सृजन, उपांतरण या तुष्टि की विशिष्टियां फाइल करने के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) यदि किसी प्रतिभूति हित का सृजन दो या अधिक उधार देने वालों के पक्ष में किया गया है तो उनके मध्य पारस्परिक पूर्विकता और क्या उन्होंने उसे संपत्ति से या अधीनस्थ आधार पर धारित किया है, के बारे में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करना अपेक्षित होगा :

परंतु यदि प्रतिभूति की श्रेणी उपलब्ध नहीं है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, प्रतिभूति लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत करने हेतु आवेदन की तारीख से साठ दिन से अनधिक का ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए समय सीमा और विलंब के लिए माफी :—(1) नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां, ऐसे संव्यवहार की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को फाइल की जाएंगी।

(2) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण या उपांतरण अथवा तुष्टि के लिए संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने में कोई विलंब होता है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, तीस दिन से अनधिक के विलंब के लिए कारणों का कथन करते हुए विनिर्दिष्ट प्ररूप में किए गए आवेदन पर उपनियम (1) में उपबंधित तीस दिन की अवधि के ठीक बाद, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस के संदाय पर संव्यवहार की विशिष्टियां भरने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा।

6. केन्द्रीय रजिस्टर के अभिलेखों का निरीक्षण :—केन्द्रीय रजिस्ट्री में रखे गए किसी संव्यवहार की विशिष्टियां केन्द्रीय रजिस्ट्री की वेबसाइट के माध्यम से और कारबार के समय के दौरान नियम 7 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर केन्द्रीय रजिस्ट्री में किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी :

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्री ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से निरीक्षण को अनुज्ञात कर सकेगी जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

7. फीस :—किसी सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित के संबंध में किसी संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक प्ररूप और केन्द्रीय रजिस्ट्री द्वारा अनुरक्षित किसी अभिलेख के निरीक्षण हेतु प्रत्येक अनुरोध के साथ ऐसी रीति में केन्द्रीय रजिस्ट्री को संदत्त की जाने वाली फीस संलग्न की जाएगी जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

सारणी

क्रम संख्यांक	रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संव्यवहार की प्रकृति	प्ररूप संख्या	संदेय फीस की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रतिभूति लेनदारों के पक्ष में प्रतिभूति हित के सृजन या उपांतरण की विशिष्टियां	प्ररूप I	पांच लाख रु. से ऊपर किसी ऋण के लिए प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में प्रतिभूति हित के सृजन के लिए और किसी पश्चात्वर्ती उपांतरण के लिए पांच सौ रुपये। पांच लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उपांतरण दोनों के लिए फीस 250 रुपए होगी।
2.	किसी विद्यमान प्रतिभूति हित की तुष्टि	प्ररूप II	250 रुपए
3.	वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन की विशिष्टियां	प्ररूप III	1000 रुपए
4.	प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन संव्यवहारों की तुष्टि की विशिष्टियां	प्ररूप IV	250 रुपए
5.	किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अभिलिखित/अनुरक्षित सूचना के लिए कोई आवेदन	—	50 रुपए
6.	30 दिन तक विलंब की माफी के लिए आवेदन	—	5 लाख रुपए तक किसी ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन की दशा में 2500 रुपए से अनधिक और अन्य सभी दशाओं अनधिक।

[फा. सं. 56/5/2007-बी.ओ.II]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) to (g) of sub-section (2) of Section 38 read with Section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);

(b) "Central Register" means the register kept and maintained under Section 22 of the Act;

(c) "Central Registrar" means a person appointed as such under sub-section (1) of Section 21 of the Act;

(d) "Central Registry" means the Central Registry set up under Section 20 of the Act;

(e) "Transaction" means any transaction of securitisation of financial assets or reconstruction of financial assets or security interest created over the

property and modification and satisfaction of any security interest over property.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002); or the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), as the case may be.

3. **Maintenance of Central Register.**—(1) A Central Register shall be kept for the purpose of maintaining records of registration of transactions relating to securitisation, reconstruction of financial assets and security interest created over properties, under the Act.

(2) All electronic documents, required to be signed by the Central Registrar under the Act or rules made thereunder, shall be authenticated through his digital signature.

4. **Manner in which particulars of Transaction are to be filed with the Central Registry.**—(1) Particulars of every transaction of securitisation or reconstruction of financial assets and satisfaction of such transaction on realisation of the financial assets or creation, modification or satisfaction of any security interest required to be registered under Section 23, 24 and 25 of the Act, shall be filed in such Forms as may be specified by the Central Government from time to time as hereinafter provided.

(2) Particulars of every transation of seuritisation and reconstruction of financial assets and creation, modification or satisfaction of security interest by way of mortgage by deposit of title deeds shall be filed in Form I, Form II, Form III or Form IV, as the case may be, and shall be authenticated by a person specified in the Form for such purpose by use of a valid digital signature.

(3) The Central Government may specify Forms for filing particulars of creation, modification or satisfaction of security interest other than mortgage by deposit of title deeds by amendment to these rules from time to time.

(4) If any security interest being created in favour of two or more lenders, the details as to inter se priority amongst them and whether they hold it on a pari passu or subordinate basis shall be required to be specified :

Provided that if the ranking of security is not available, the Central Registrar may allow such time, not exceeding sixty days from the date of application, for the same to be furnished by the secured creditors.

5. **Time limit for registration and condition of delay.**—(1) The particulars of every transaction referred to in sub-rule (1) of rule 3 shall be filed the Central Registrar within a period of thirty days from the date of such transaction.

(2) In cases where there is a delay in filing the particulars of transaction for registration or modification or satisfaction within the time specified in sub-rule (1), the Central Regisrar, on an application in specified form, stating the reasons for delay not exceeding thirty days from next following the period of thirty days provided in sub-rule (1) may allow filing of the particulars of transaction on payment of additional fees as specified in these rules.

6. **Inspection of records of Central Register.**—The particulars of any transaction kept in the Central Registry shall be open for inspection to any person through the website of the Central Registry and during the business hours at the Central Registry on payment of fee specified in rule 7;

Provided that the Central Registry may allow the inspection to be carried out through such person, authorised by it in this behalf.

7. **Fees.**—Every Form for registration of any transaction relating to security interest over any property and every request for inspection of any record maintained by the Central Registry shall be accompanied by a fee specified in the Table given below to be paid to the Central Registry in such manner as may be specified from time to time.

TABLE

Sl. No.	Nature of transaction to be Registered	Form No.	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Particulars of creation or modification of Security Interest in favour of secured creditors	Form I	Rs. 500 for creation and for any subsequent modification of Security interest in favour of a secured creditor for a loan above Rs. 5 lakh. For a loan up to Rs.5 lakh the fee would be 250 for both creation and modification of security interest.
2.	Satisfaction of any existing Security Interest	Form II	Rs. 250
3.	Particulars of securitisation or reconstruction of financial assets	Form III	Rs.1000
4.	Particulars of satisfaction of securitisation or reconstruction transactions	Form IV	Rs. 50
5.	Any application for information recorded/maintained in the Register by any person	—	Rs.50
6.	Any application for condonation of delay up to 30 days	—	Not exceeding Rs.2500 in case of creation of security interest for a loan up to Rs.5 lakh and notexceeding Rs. 5000 in all other cases.

[F. No.56/5/2007-BO.II]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.

1408

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 277(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधोलिखित तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित स्थान में केन्द्रीय रजिस्ट्री की स्थापना को अधिसूचित करती है जो उक्त तालिका के स्तम्भ 3 की संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का निष्पादन करेगी।

तालिका

क्र. सं.	वह स्थान जहां केन्द्रीय रजिस्ट्री स्थापित की गई है	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बैंक संघ, दिल्ली लोकल चैप्टर द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008	सम्पूर्ण भारत

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय रजिस्ट्री के परिचालन एवं प्रशासन तथा केन्द्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण का कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंसशुदा सरकारी कंपनी नामत:, भारतीय केन्द्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री, जिसका पंजीकृत कार्यालय ऊपर दी गई तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित स्थान पर है, को सौंपती है ।

3. केन्द्रीय रजिस्ट्री, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधीक्षण एवं निदेशन के अंतर्गत होगी।

[फा. सं. 56/5/2007-बी.ओ.II]
आलोक निगम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred under Section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Central Government hereby notifies the establishment of the Central Registry at the place mentioned in Column 2 of the Table below which shall exercise jurisdiction in the area specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Place at which the Central Registry is established	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Indian Banks' Association, Delhi Local Chapter C/o Punjab National Bank, Rajendra Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-110008.	Whole of India

2. The Central Government hereby, entrusts the operations and administration of the Central Registry and the Maintenance of the Central Register to a Government Company licensed under Section 25 of the Companies Act, 1956, namely, the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India, having its Registered Office at the place mentioned in Column 2 of the above given Table.

3. The Central Registry shall be under the superintendence and direction of the Central Registrar appointed by the Central Government under sub-section (1) of Section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

[F. No.56/5/2007-BO.II]
ALOK NIGAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 278(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और संपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति ब्याज से संबंधित लेनदेनों का पंजीकरण करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री आर.वी.वर्मा, राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार का कार्यभार भी तीन महीनों की अवधि के लिए संभालेंगे।

[फा. सं. 56/5/2007-बी.ओ.II]
आलोक निगम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Central Government hereby appoints Shri R. V. Verma, Chairman and Managing Director, National Housing Bank (NHB), as the Central Registrar to hold additional charge of the Central Registrar for the purpose of registration of transactions relating to securitization, reconstruction of financial assets and security interest created over properties.

2. Shri R. V. Verma shall hold the charge of Central Registrar for a period of three months in addition to his duties as Chairman and Managing Director, National Housing Bank.

[F. No. 56/5/2007-BO.II]
ALOK NIGAM, Jt. Secy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.